

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
उत्तराखण्ड राज्य की 58 नैनीताल (अ०जा०) विधान सभा के लिए निर्वाचन
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

सरिता आर्या, ग्राम भूमियाधार पो० भूमियाधार जिला नैनीताल

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) के द्वारा खड़े
किए गए।
उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन के स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए
हैं।

स्थान— हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक— 10 मार्च, 2022



रिटर्निंग ऑफिसर
58 नैनीताल (अ०जा०)
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

रिटर्निंग ऑफिसर
58 नैनीताल (अ०जा०)

(Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules And Order)
FORM 21C
(See Rule 64)
(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand from 58-Nainital (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sarita Arya

Village Bhumiadhar Post Bhumiadhar District Nainital [sponsored by Bharatiya Janata Party] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Haldwani (District Nainital)

Date : 10-03-2022



(Prateek Jain)

Returning Officer

058-Nainital(SC)

Legislative Assembly Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर
58 नैनीताल (SC) जिला